Rule 96 : Refund of integrated tax paid on goods [1][or services] exported out of India

(1) The shipping bill filed by [2]**[**an exporter of goods**]** shall be deemed to be an application for refund of integrated tax paid on the goods exported out of India and such application shall be deemed to have been filed only when:-

(a) The person in charge of the conveyance carrying the export goods duly files [3]**[**a departure manifest or**]** an export manifest or an export report covering the number and the date of shipping bills or bills of export; and

[4]**[(b)** the applicant has furnished a valid return in **FORM GSTR-3B**:

Provided that if there is any mismatch between the data furnished by the exporter of goods in Shipping Bill and those furnished in statement of outward supplies in **FORM GSTR-1**, such application for refund of integrated tax paid on the goods exported out of India shall be deemed to have been filed on such date when such mismatch in respect of the said shipping bill is rectified by the exporter;**]**

[5]**[(c)** the applicant has undergone Aadhaar authentication in the manner provided in rule 10B;**]**

(2) The details of the [6]**[**relevant export invoices in respect of export of goods**]** contained in **FORM GSTR-1** shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs and the said system shall electronically transmit to the common portal, a confirmation

---

1 Inserted by Noti. No. 75/2017–Central Tax, dt. 29-12-2017 w.e.f. 23-10-2017.

2 Substituted for "an exporter" by Noti. No. 3/2018–Central Tax, dt. 23-01-2018 w.e.f. 23-10-2017.

3 Inserted by Noti. No. 74/2018–Central Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 31-12-2018.

4 Clause (b) substituted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 01-07-2017. Earlier to substitution it read as under:

"**(b)** the applicant has furnished a valid return in **FORM GSTR-3** [A][or **FORM GSTR-3B**, as the case may be];"

A Earlier inserted by N.N. 15/2017–Central Tax, dt. 01-07-2017 w.e.f. 01-07-2017.

5 Clause (c) inserted by Noti. No. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021. It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 38/2021-Central Tax, dt. 21-12-2021.

6 Substituted for "relevant export invoices" by Noti. No. 3/2018–Central Tax, dt. 23-01-2018 w.e.f. 23-10-2017.

that the goods covered by the said invoices have been exported out of India.

[7][**Provided that** where the date for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in Table 6A of **FORM GSTR-1** after the return in **FORM GSTR-3B** has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs:

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in **FORM GSTR-1** for the said tax period.**]**

(3) Upon the receipt of the information regarding the furnishing of a valid return in [8]**[FORM GSTR-3B]** from the common portal, [9]**[**the system designated by the Customs or the proper officer of Customs, as the case may be, shall process the claim of refund in respect of export of goods**]** and an amount equal to the integrated tax paid in respect of each shipping bill or bill of export shall be electronically credited to the bank account of the applicant mentioned in his registration particulars and as intimated to the Customs authorities.

(4) The claim for refund shall be withheld where,-

(a) A request has been received from the jurisdictional Commissioner of central tax, State tax or Union territory tax to withhold the payment of refund due to the person claiming refund in accordance with the provisions of sub-section (10) or sub-section (11) of section 54; or

(b) The proper officer of Customs determines that the goods were exported in violation of the provisions of the Customs Act, [10]**[**1962; or**]**.

---

7 Provisos inserted by Noti. No. 51/2017–Central Tax, dt. 28-10-2017 w.e.f. 28-10-2017.

8 Substituted by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022. Earlier it read as, "**FORM GSTR-3** [A][or **FORM GSTR-3B**, as the case may be]"

A Inserted by Noti. No. 15/2017-Central tax, dt. 01-07-2017 w.e.f. 01-07-2017.

9 Substituted for "the system designated by the Customs shall process the claim for refund" by Noti. No. 3/2018–Central Tax, dt. 23-01-2018 w.e.f. 23-10-2017.

10 Substituted for "1962" by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 01-07-2017.

[11]**[(c)** the Commissioner in the Board or an officer authorised by the Board, on the basis of data analysis and risk parameters, is of the opinion that verification of credentials of the exporter, including the availment of ITC by the exporter, is considered essential before grant of refund, in order to safeguard the interest of revenue.**]**

(5) [12]**[*********]**

[13]**[(5A)** Where refund is withheld in accordance with the provisions of clause (a) or clause (c) of sub-rule (4), such claim shall be transmitted to the proper officer of Central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, electronically through the common portal in a system generated **FORM GST RFD-01** and the intimation of such transmission shall also be sent to the exporter electronically through the common portal, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund in such cases and shall be deemed to have been filed on the date of such transmission.

(5B) Where refund is withheld in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (4) and the proper officer of the Customs passes an order that the goods have been exported in violation of the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), then, such claim shall be transmitted to the proper officer of Central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, electronically through the common portal in a system generated **FORM GST RFD-01** and the intimation of such transmission shall also be sent to the exporter electronically through the common portal, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund in such cases and shall be deemed to have been filed on the date of such transmission.

---

11 Clause (c) inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 01-07-2017.

12 Sub-rule (5) omitted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 01-07-2017. Earlier to omission it read as under:

"**(5)** Where refund is withheld in accordance with the provisions of clause (a) of sub-rule (4), the proper officer of integrated tax at the Customs station shall intimate the applicant and the jurisdictional Commissioner of central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, and a copy of such intimation shall be transmitted to the common portal."

13 Sub-rule (5A), (5B) and (5C) inserted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 01-07-2017.

(5C) The application for refund in **FORM GST RFD-01** transmitted electronically through the common portal in terms of sub-rules (5A) and (5B) shall be dealt in accordance with the provisions of rule 89.**]**

(6) & (7) [14][****]

(8) The Central Government may pay refund of the integrated tax to the Government of Bhutan on the exports to Bhutan for such class of goods as may be notified in this behalf and where such refund is paid to the Government of Bhutan, the exporter shall not be paid any refund of the integrated tax.

[15][(9) The application for refund of integrated tax paid on the services exported out of India shall be filed in **FORM GST RFD-01** and shall be dealt with in accordance with the provisions of rule 89].

[16][(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have -

---

14 Sub-rule (6) and (7) omitted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 01-07-2017. Earlier to omission it read as under:

"**(6)** Upon transmission of the intimation under sub-rule (5), the proper officer of central tax or State tax or Union territory tax, as the case may be, shall pass an order in [A][Part A] of **FORM GST RFD-07**.

(7) Where the applicant becomes entitled to refund of the amount withheld under clause (a) of sub-rule (4), the concerned jurisdictional officer of central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, shall proceed to refund the amount [B][by passing an order in **FORM GST RFD-06** after passing an order for release of withheld refund in Part B of **FORM GST RFD-07**]."

A Earlier substituted for "Part B" by Noti. No. 15/2021–Central Tax, dt. 18-05-2021 w.e.f. 18-05-2021.

B Earlier substituted for "after passing an order in **FORM GST RFD-06**" by Noti. No. 15 /2021–Central Tax, dt. 18-05-2021 w.e.f. 18-05-2021.

15 Sub-rule (9) substituted by Noti. No. 3/2018–Central Tax, dt. 23-01-2018 w.e.f. 23-10-2017. Earlier inserted by Noti. No. 75/2017–Central Tax, dt. 29-12-2017 [CGST (14th Amendment) Rules, 2017] w.e.f. 23-10-2017. As, amendment dt. 23-01-2018 has been made effective from 23-10-2017, hence earlier provisions have not been reproduced.

16 Sub-rule (10) substituted by Noti. No. 54/2018–Central Tax, dt. 09-10-2018 w.e.f. 09-10-2018. Earlier to substitution it read as under:

"[A]**[(10)** The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have –

(a) received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Government of India, Ministry of Finance, notification No. 48/2017-Central Tax, dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of

(a) received supplies on which the benefit of the Government of India, Ministry of Finance notification No. 48/2017-Central Tax, dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1305 (E), dated the 18th October, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme or notification No. 40/2017-Central Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1320 (E), dated the 23rd October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or

(b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299 (E), dated the 13th October, 2017 except so far it relates

---

India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1305 (E), dated the 18th October, 2017 or notification No. 40/2017-Central Tax (Rate) dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1320 (E), dated the 23rd October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or

(b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299 (E) dated the 13th October, 2017.] "

A Earlier also sub-rule (10) substituted by Noti. No. 39/2018-Central Tax, dt. 04-09-2018 w.e.f. 23-10-2017 and by Noti. No. 3/2018-Central Tax, dt. 23-01-2018. But, amendment made by Noti. No. 53/2018-Central Tax, dt. 09-10-2018 has been made effective from 23-10-2017, hence earlier provisions have not been reproduced.

to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme.**]]**

[17]**[Explanation-** For the purpose of this sub-rule, the benefit of the notifications mentioned therein shall not be considered to have been availed only where the registered person has paid Integrated Goods and Services Tax and Compensation Cess on inputs and has availed exemption of only Basic Customs Duty (BCD) under the said notifications.**]**

17 Explanation inserted by Noti. No. 16/2020–Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 23-10-2017.

नियम 96: भारत के बाहर निर्यात किए गए माल [1][या सेवाओं] पर एकीकृत कर का प्रतिदाय

(1) किसी [2][मालों के निर्यातकर्ता] द्वारा फाइल किए गए पोतपत्र को भारत के बाहर, निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसा आवेदन केवल तब फाइल किया समझा जाएगा जब :–

(क) निर्यात माल का वहन करने वाले प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति सम्यक् रूप से [3][प्रस्थान घोषणापत्र या] पोत पत्रों या निर्यात पत्रों की संख्या और तारीख वाली कोई निर्यात माल सूची या निर्यात रिपोर्ट फाइल करता है; और

[4][(ख) आवेदक ने **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विधि मान्य विवरणी प्रस्तुत की है :

परंतु यदि पोत परिवहन पत्र माल के निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत आकड़े और प्ररूप जीएसटीआर एक में जावक प्रदायों के विवरण में प्रस्तुत आकड़ों के बीच कोई अंतर है, तब, भारत से बाहर निर्यात किये गये माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिये ऐसा आवेदन को उस तारिख को फाईल किया हुआ समझा जायेगा जब उक्त पोत परिवहन पत्र की बाबत् ऐसा अंतर निर्यातकर्ता द्वारा ठीक कर दिया जाता है;]

[5][(ग) आवेदक ने नियम 10ख में उपबंधित रीति से आधार अधिप्रमाणन करवाया है।]

(2) **प्ररूप जीएसटीआर–1** में अंतर्विष्ट [6][निर्यात किए गए माल के संबंध में सुसंगत निर्यात बीजकों] के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम पर पारेषित किया जाएगा और उक्त सिस्टम इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल को ऐसी पुष्टि पारेषित करेगा कि उक्त बीजकों के अन्तर्गत आने वाले माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है।

[7][**परन्तु** यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का

---

1 अधिसूचना क्रमांक 75/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)।

2 अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा ''निर्यातकर्ता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)।

3 अधिसूचना क्रमांक 74/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

4 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा खण्ड (ख) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व या यह इस प्रकार था

"(ख) आवेदक ने [A]**[यथास्थिती, प्ररूप जीएसटीआर–3** या **प्ररूप जीएसटीआर–3ख]** में विधिमान्य विवरणी दी है।

A अधिसूचना क्रमांक 15/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा ''**प्ररूप जीएसटीआर–3**'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

5 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा खंड (ग) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 38/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

6 अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा 'सुसंगत निर्यात बीजकों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)।

7 अधिसूचना क्रमांक 51/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.10.2017 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित हुआ था (प्रभावशील दिनांक 28.10.2017)।

प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर–1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित् किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–1** में स्वतः प्रारूपित की जाएगी।**]**

(3) सामान्य पोर्टल से [8]**[प्ररूप जीएसटीआर–3ख]** में विधिमान्य विवरणी देने के संबधं में सूचना प्राप्त होने पर [9]**[**सीमाशुल्क या सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा अभिहित सिस्टम, मालों के निर्यात के संबंध में प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा**]** और प्रत्येक पोत पत्र या निर्यात पत्र के संबंध में संदत्त एकीकृत कर के बराबर रकम को इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक के रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यथा सूचित उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(4) प्रतिदाय के दावे को वहां विधारित कर दिया जाएगा, जहां,–

(क) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त से धारा 54 की उपधारा (10) या उपधारा (11) के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति के प्रति देय संदाय को विधारित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; या

(ख) सीमाशुल्क उचित अधिकारी ने यह अवधारित किया है कि माल का निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम, [10]**[**1962; या**]** के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है।

[11]**[**(ग) बोर्ड में आयुक्त या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की, डाटा विश्लेषण और जोखिम पैरामिटरों के आधार पर, यह राय है कि निर्यातकर्ता के प्रत्ययपत्र का सत्यापन, जिसमें निर्यातकर्ता द्वारा आईटीसी का लिया जाना भी है, राजस्व के हित को सुरक्षित रखने के लिये प्रतिदाय की मंजूरी से पूर्व आवश्यक समझा जाता है।

(5) [12]**[……]**

---

8 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा प्रतिस्थापित। पहले यह इस प्रकार थाः ''**प्ररूप जीएसटीआर–2** [A]**[**यथास्थिती, **प्ररूप जीएसटीआर–3** या **प्ररूप जीएसटीआर–3ख]''**

A अधिसूचना क्रमांक 15/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा ''**प्ररूप जीएसटीआर–3**'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

9 अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा ''सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)।

10 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा ''1962'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

11 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा खण्ड (ग) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

12 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपनियम 5 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017) विलोपन के पूर्व उपनियम 5 इस प्रकार था

"(5) जहां उपनियम (4) के खंड (क) उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय विधारित किया जाता है वहां सीमाशुल्क स्टेशन का एकीकृत कर उचित अधिकारी आवेदक और यथास्थिति, केन्द्रीय कर अधिकारिता आयुक्त, राज्य कर अधिकारिता आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त को सूचित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति सामान्य पोर्टल को पारेषित करेगा।"

[13][**(5क)** जहां प्रतिदाय उपनियम (4) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है, वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, यथा स्थिति, केन्द्रीय कर, राज्य कर, या संघ राज्य क्षेत्र कर के समुचित अधिकारी को पारेषित किया जायेगा और पारेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जायेगी और किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकुल बात के होते हुये भी, उक्त प्रणाली सृजित प्ररूप ऐसा मामलों में प्रतिदाय के लिये आवेदन समझा जायेगा और ऐसे पारेषण की तारिख को फाईल किया गया समझा जायेगा।

(5ख) जहां प्रतिदाय उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है और सीमा शुल्क समुचित अधिकारी ऐसा कोई आदेश पारित करता है कि माल, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के उपबंधों का उल्लघंन करते हुये निर्यात किया गया है वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, यथास्थिति, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्य क्षेत्र कर के समुचित अधिकारी को पारेषित किया जायेगा और ऐसे पारेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जायेगी और किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल बात के होते हुये भी, उक्त प्रणाली सृजित प्ररूप ऐसे मामलों में प्रतिदाय के लिये आवेदन समझा जायेगा और ऐसे पारेषण की तारिख को फाईल किया गया समझा जायेगा।

(5ग) उपनियम 5 (क) और उपनियम 5(ख) के अनुसार सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** में प्रतिदाय के लिये आवेदन पर नियम 89 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6) & (7) [14][……]

(8) केन्द्रीय सरकार, माल के ऐसे वर्ग के लिए जो इस निमित्त अधिसूचित किया जाए भुटान को निर्यात पर, भुटान सरकार को एकीकृत कर के प्रतिदाय का संदाय कर सकेगी और भुटान सरकार को ऐसा प्रतिदाय संदत्त किया जाता है वहां निर्यातकर्ता एकीकृत कर के किसी प्रतिदाय का संदाय नहीं करेगा।

---

13 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीयकर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपनियम 5(क), 5(ख) एवं 5(ग) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)

14 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीयकर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपनियम (6) एवं (7) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017) विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(6)** उपनियम (5) के अधीन सूचना के पारेषण पर, यथास्थिति, केन्द्रीय कर उचित अधिकारी, राज्य कर उचित अधिकरी या संघ राज्यक्षेत्र कर उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–07** के [A][भाग क] में आदेश पारित करेगा।

(7) जहां आवेदक उपनियम (4) के खंड (क) के अधीन विधारित रकम के प्रतिदाय का हकदार हो गया है वहां यथास्थिति, संबंधित केन्द्रीय कर अधिकारिता अधिकारी, राज्य कर अधिकारिता अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता अधिकारी [B][**प्ररूप जीएसटी आरडीएफ–07** के भाग–ख में रोके गए प्रतिदाय को जारी करने के लिए किसी आदेश को पारित करने के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–06** में कोई आदेश पारित करने पश्चात्] प्रतिदाय के लिए कार्यवाही करेगा।"

A अधिसूचना क्रमांक 15/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा पूर्व में प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)

B अधिसूचना क्रमांक 15/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा ''**जीएसटी आरएफडी 06** में एक आदेश पारित करने पश्चात'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)

[15]**[(9)** भारत के बाहर निर्यात की गई सेवाओं पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** में भरा जाएगा और नियम 89 के उपबंधों के अनुसरण में व्यौहार किया जाएगा।

[16]**[(10)** माल और सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय कर दावा करने वाले व्यक्तियों को –

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1305(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2017–केन्द्रीय कर, तारिख 18 अक्टूबर 2017 का सिवाय उसके, जहां तक उनका संबंध ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1320(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017 – केन्द्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3,

---

15 अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा वर्तमान उप–नियम (9) के स्थान पर उप–नियम (9) एवं (10) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। पहले अधिसूचना क्रमांक 75/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2017 (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017) द्वारा उप–नियम (9) अंतःस्थापित किया गया था। चूंकि संशोधन दिनांक 23.01.2018 को दिनांक 23.10.2017 से प्रभावशील किया गया है, अतः पूर्व उप–नियम (9) यहां पर नहीं दिया जा रहा है।

16 अधिसूचना क्रमांक 54/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2018 द्वारा उप–नियम (10) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2018)।

पहले अधिसूचना क्रमांक 53/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2018 द्वारा उप–नियम (10) प्रतिस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। दिनांक 23.10.2017 से 08.10.2018 तक यह इस प्रकार था :

"[A]**[(10)** माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर प्रदायकर्ता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1305 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2017–केन्द्रीय कर, तारीख 18 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1320(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017–केन्द्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2ए, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1321 (अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017–एकीकृत कर (दर), तारिख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है।"

A पहले अधिसूचना क्रमांक 39/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.09.2018 (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017) एवं अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.01.2018 द्वारा उप–नियम (10) प्रतिस्थापित किया गया था। चूंकि अधिसूचना क्रमांक 53/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2018 को दिनांक 23.10.2017 से प्रभावशील किया गया है, अतः पूर्व के संशोधनों को यहां नहीं दिया जा रहा है।

उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017–एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के संबंध में पूंजी माल प्राप्त करने से है, फायदे का उपभोग किया गया है; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के अधीन फायदे का उपभोग, सिवाय उसके जहां तक उसका संबंध निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने से है, नहीं करना चाहिए।

[17]**[स्पष्टीकरण-** इस उपनियम के उद्देश्यों के लिए, उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के लाभ केवल उपयोग के लिए विचार में नहीं लिए जाएंगे जहां पंजीकृत व्यक्ति निवेशों पर समाकलित माल और सेवा कर और प्रतिकर उपकर संदत्त किया है और उक्त अधिसूचना के अधीन केवल आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) छूट प्राप्त होगी।**]**

---

17 अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)।